1	विभाग–	समाज कल्याण विभाग।
2	योजना का नाम –	पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा–9 व 10)(अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/सामान्य वर्ग)
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को उनके शैक्षिक स्तर को बढाये जाने के दृष्टिकोण से छात्र/छात्राओं को शुल्क भुगतान न किये जाने की दशा में शिक्षा से वंचित होने की स्थिति के मद्देनजर निर्बाध शिक्षा ग्रहण करने हेतु डेस्कालर (दिवस छात्र) हेतु 150–00 प्रतिमाह की दर से एवं रू0 750–00 वार्षिक तदर्थ अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
4	पात्रता की अर्हता–	(a) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गः– इस योजनान्तर्गत ऐसे माता–पिता/अभिभावकों जिनकी सभी स्रोत्रों से वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अनाधिक है, को विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन करने की स्थिति में नियमानुसार छात्रवृत्ति की धनराशि देय है। (b) सामान्य वर्ग :– इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे माता–पिता/अभिभावक जिनकी वार्षिक आय सभी श्रोत्रों से प्रति परिवार रू0 46,080–00 ग्रामीण क्षेत्र में तथा रू0 56460–00 शहरी क्षेत्र में है, को विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन करने की स्थिति में नियमानुसार छात्रवृत्ति की धनराशि देय है।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	इस योजनान्तर्गत बिन्दु संख्या– 04 में उल्लिखित आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले माता–पिता/अभिभावकों के छात्र/छात्रा समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति वेबसाइट– http://scholarship.up.nic.in पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अपना छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र सबमिट कर सकते हैं।
6	लिंक वेबसाईट	**http://scholarship.up.nic.in**
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।